न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 77/प्रा.पत्र/2024	20.08.2024	15.04.2025
(GCMS No. 2024/126)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1.केली पत्नी पेमा जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
2.पप्पू पुत्र मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
3.भैरू पुत्र मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
4.राजू पुत्र मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
5.ममता पुत्री मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
6.रोडी पुत्री मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
7.सन्ती पुत्री मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा
8.प्रेम पत्नी मोहन जाति भील, निवासी गणेशपुरा,तहसील तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी पेमा वल्द कालू को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 108 रकबा 0.9955 हैक्टेयर वाकेग्राम गणेशपुरा आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 77/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/126 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित वकील श्री साबिर मोहम्मद द्वारा दिनांक 29.09.24 को आगामी पेशी पर जवाब मय वकालतनामा पेश किये जाने बाबत अंडरटेकिंग दी गई, तत्पश्चात 5 पेशियों पर उपस्थित आने के बावजूद भी वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब/ वकालतनामा पेश नहीं किया गया। दिनांक 01.04.25 को अप्रार्थीगण या उनके वकील के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि में पत्थर का स्टाक लगा हुआ है। इस प्रकार आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि पेमा आ. कालू कौम भील निवासी गणेशपुरा को दिनांक 29.11.1975 को भूमि खसरा सं. 108 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा वाकेग्राम गणेशपुरा का आवंटन किया गया था। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 108 रकबा 0.9955 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पर पत्थर का स्टाक लगा हुआ है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं होना प्रमाणित होता है।

जिला कलक्टर, बून्दी

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर पत्थर का स्टाक लगा हुआ होन से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पेमा आ. कालू कौम भील निवासी गणेशपुरा को किया गया भूमि आवंटन ख.सं.108 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा (हाल रकबा 0.9955 हैक्टेयर) वाकेग्राम गणेशपुरा दिनांक 29.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी